

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
देवी बनाम चारीकरी
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 470/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/1423	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>देवी</u></p> <p>पिता श्री <u>चीता जी चमार</u></p> <p>निवासी- <u>चिकली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p>स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>38 39 44</u> <u>45 52 56 57</u> <u>0.08 0.01 0.05</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>0.7200</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चिकली</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>38 39 44 45 52 56 57</u> <u>0.08 0.01 0.05 0.16 0.10 0.03 0.29</u></p> <p>कुल कीता <u>06</u> रकबा <u>0.7200</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रूबर</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>RP</u> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>